न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **54/2022** दायर दिनाँक **11.02.2022**

वादी		प्रतिवादीगण
1. श्रीकृष्ण पुत्र हणुताराम जाति जाट निवासी आजवा हाल निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. लालाराम पुत्र हणुताराम जाति जाट निवासी आजवा हाल निवासी गाढ़ा बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री चेनाराम थोरी वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **28.04.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टै0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 270 रकबा 5.1500 हैक्टै0, खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 वाकै सरहद पठानो का बाढ़, पटवार हल्का सिंघाना तथा खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टे0, खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 वाकै शरहद आजवा पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 01 दोनो सगे भाई है। पक्षकारान ने आपसी सहमति व पारिवारिक समायोजन के अनुसार तथा अपनी—अपनी काश्त की सुविधा अनुसार आपस में उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि का मौखिक बंटवारा कर लिया था तथा उसी अनुरूप पक्षकारान का अलग—अलग कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि वाकै सरहद पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से 2.1286 हैक्टे0 दक्षिणी भाग तथा वाकै शरहद आजवा में अवस्थित खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टे0 सम्पूर्ण वादी श्रीकृष्ण के बंट व कब्जा काश्त में आया है।
2. यह है वाकै सरहद पठानो का बाढ़ पटवार हल्का सिंघाना, में अवस्थित खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से रकबा 3.0214 हैक्टे0 उत्तरी भाग तथा वाकै आजवा पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी सं0 01 लालाराम के बंट व कब्जा काश्त में आया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :—

यह है कि वाकै सरहद पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 सम्पूर्ण वादी की खातेदारी का घोषित किया जावें तथा उक्त खसरा सं0 292 में से प्रतिवादी लालाराम का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जावें। खसरा सं0 270 में से 2.1286 हैक्टे0 दक्षिणी भाग वादी का घोषित किया [illegible] अवस्थित खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टे0 सम्पूर्ण वादी [illegible] का घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी लालाराम [illegible] जावें इसी प्रकार वाकै सरहद पठानों का [illegible] में अवस्थित [illegible] 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी लालाराम के नाम घोषित [illegible] जावें तथा वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

श्रीकृष्ण का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जावें। खसरा सं0 270 में से रकबा 3.0214 हैक्टे0 उत्तरी भाग प्रतिवादी लालाराम के नाम घोषित किया जावें तथ्ज्ञा वाकै सरहद आजवा में अवस्थित खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 सम्पूर्ण प्रतिवादी लालाराम के नाम घोषित किया जावें तथा वादी श्रीकृष्ण का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जावें। उपरोक्तानुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर इस आशय की डिक्री जारी करने की कृपा करावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। साक्ष में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 01, 02 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम पठानो का बाढ के खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 269 रकबा 0. 0100 हैक्टै0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 270 रकबा 5.1500 हैक्टै0, खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 वाकै सरहद पठानो का बाढ़, पटवार हल्का सिंघाना तथा खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टै0, खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 वाकै शरहद आजवा की भूमि में निम्नानुसार खातेदार घोषित की जाती है।

1. सरहद पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से 2.1286 हैक्टे0 दक्षिणी भाग तथा वाकै शरहद आजवा में अवस्थित खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि। उक्त खसरा भूमियों में से प्रतिवादी सं0 01 लालाराम का नाम हटाया जाकर वादी श्रीकृष्ण को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।
2. सरहद पठानो का बाढ़ पटवार हल्का सिंघाना, में अवस्थित खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से रकबा 3.0214 हैक्टे0 उत्तरी भाग तथा वाकै आजवा पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि। उक्त खसरा भूमियों में से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं0 01 लालाराम को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 28.04.2022 को ... सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **54/2022** दायर दिनाँक **11.02.2022**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. श्रीकृष्ण पुत्र हणुताराम जाति जाट निवासी आजवा हाल निवासी गाढ़ा बास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	**बनाम्**	1. लालाराम पुत्र हणुताराम जाति जाट निवासी आजवा हाल निवासी गाढ़ा बास डीडवाना तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **28.04.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री चेनाराम थोरी वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै ग्राम पठानो का बाढ के खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 गै0मु0 कुण्ड, खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टै0 गै0 मु0 कुण्ड, खसरा सं0 270 रकबा 5.1500 हैक्टै0, खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 वाकै सरहद पठानो का बाढ़, पटवार हल्का सिंघाना तथा खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टै0, खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 वाकै शरहद आजवा की भूमि में निम्नानुसार खातेदार घोषित की जाती है।

1. सरहद पठानों का बाढ पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 292 रकबा 0.8900 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से 2.1286 हैक्टे0 दक्षिणी भाग तथा वाकै शरहद आजवा में अवस्थित खसरा सं0 240 रकबा 2.5800 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि। उक्त खसरा भूमियों में से प्रतिवादी सं0 01 लालाराम का नाम हटाया जाकर वादी श्रीकृष्ण को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।
2. सरहद पठानो का बाढ़ पटवार हल्का सिंघाना, में अवस्थित खसरा सं0 269 रकबा 0.0100 हैक्टे0 सम्पूर्ण, खसरा सं0 270 में से रकबा 3.0214 हैक्टे0 उत्तरी भाग तथा वाकै आजवा पटवार हल्का सिंघाना में अवस्थित खसरा सं0 254 रकबा 1.7700 हैक्टे0 सम्पूर्ण भूमि। उक्त खसरा भूमियों में से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी सं0 01 लालाराम को स्वतंत्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **28.04.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:08:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner